न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–235/2020

सरकार प्रति महेन्द्र यादव वगैरह

मुकदमा अपराध संख्या–78/2020

धाराः 323,504,506,325,354 भा.दं.स

व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एसटी

थाना चकिया, जिला– चन्दौली।

आ रो प

मैं, अम्बर रावत, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्तगण

1. महेन्द्र यादव
2. उर्मिला देवी
3. बनारसी यादव

को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :–

प्रथम–यह कि दिनांक 31.05.2020 को समय 17 बजे स्थान ग्राम शिवपुर, शिवगढ़, थाना चन्दौली, जिला चन्दौली में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा की देवरानी कबिता को पुरानी रंजिश को लेकर ईट पत्थर व लात मुक्का से मारकर साधारण चोट पहुँचायी इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व उसकी देवरानी को भद्दी–2 गालियाँ देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व उसकी देवरानी को जान से जान से मारने की धमकी दिया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा की देवरानी कबिता को ईट पत्थर व लात मुक्का से मारकर गंभीर चोट पहुँचायी इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व उसकी देवरानी को बेइज्ज्त करने के नियत से पटककर कपड़े फाड़कर लज्जा भंग किया गया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 354 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

षष्टम– यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा यह

जानते हुए कि वादिनी मुकदमा अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर अभित्रस्त किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम–यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर जाति सूचक गाली गलौच किया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आप लोगों को निर्देशित करता हूॅ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–10.09.2021ई0

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मॉग किया ।

दिनांक–10.09.2021ई0

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।